IX भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहा है जिसमें नकदी का लेनदेन कम से कम किया जाए और इसके लिए देश में भुगतान के डिजिटल तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया गया। आज जबकि कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां प्रचलन में आ रही हैं, बैंक ने अपने प्रयासों को भुगतान प्रणाली को निरापद और सुरक्षित बनाने पर फोकस किया है। तदनुसार, बैंक ने एक मजबूत और आघातसहनीय प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम किया, जिसने देश में अत्यावश्यक और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.1 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने भारत में 'भुगतान और निपटान प्रणाली : विजन 2018' दस्तावेज में निर्धारित कार्यनीति में शामिल नवोन्मेषी उपायों पर कार्य करना जारी रखा। इसके फलस्वरूप, विजन में निर्धारित अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति निम्नलिखित के माध्यम से हुई: (i) कागज आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी कम करना; (ii) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली यथा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), कार्ड लेनदेन और मोबाइल बैंकिंग के अपने-अपने खंडों में लगातार वृद्धि; (iii) मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहक आधार में वृद्धि; और (iv) डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन। इसके अलावा भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत के कारण देश भर में डिजिटल भुगतान तेजी से अपनाए गए और इसीलिए बैंक ने डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उसे निरापद एवं सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

IX.2 भुगतान और निपटान प्रणालियों में 2017-18 के दौरान अच्छी-खासी वृद्धि हुई, जो 2016-17 में मात्रात्मक और मूल्यानुसार हुई क्रमशः 56.0 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर क्रमशः 44.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत हो गयी। खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का हिस्सा 2017-18 में बढ़कर 92.6 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 88.9 प्रतिशत था, और कागज- आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी इसी के अनुरूप 2016-17 के 11.1 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 7.4 प्रतिशत हो गयी (सारणी IX.1)।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.3 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली द्वारा 2017-18 में ₹1,167 ट्रिलियन मूल्य के 124 मिलियन लेनदेन किए गए, जो पिछले वर्ष के ₹982 ट्रिलियन मूल्य के 108 मिलियन लेनदेन से अधिक थे। मार्च 2018 के अंत तक, आरटीजीएस सुविधा 194 बैंकों की 1,37,924 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती थी। एनईएफटी प्रणाली द्वारा 2017-18 में लगभग ₹172 ट्रिलियन मूल्य के 1.9 बिलियन लेनदेन किए गए, जो पिछले वर्ष के ₹120 ट्रिलियन मूल्य के 1.6 बिलियन लेनदेन की तुलना में मात्रात्मक रूप से 20 प्रतिशत तथा मूल्यानुसार 43.5 प्रतिशत अधिक थे। मार्च 2018 के अंत में एनईएफटी सुविधा कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) के आउटलेट्स की बड़ी संख्या के अलावा, 192 बैंकों की 1,40,339 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही थी।

IX.4 वर्ष 2017-18 के दौरान, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या क्रमशः 1.4 बिलियन और 3.3 बिलियन थी। प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)

सारणी IX.1 भुगतान प्रणाली संकेतक – वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	98.3	107.8	124.4	8,24,578	9,81,904	11,67,125
कुल वित्तीय बाज़ार समाशोधन (2+3+4)	**3.1**	**3.7**	**3.5**	**8,07,370**	**10,56,173**	**10,74,802**
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	1,78,335	2,29,528	2,83,308
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.0	1.5	1.1	2,69,778	4,04,389	3,70,364
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.9	1.9	2.2	3,59,257	4,22,256	4,21,131
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	**101.4**	**111.5**	**127.9**	**16,31,948**	**20,38,077**	**22,41,927**
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6)	**1,096.4**	**1,206.7**	**1,170.6**	**81,861**	**80,958**	**81,893**
5. सीटीएस	958.4	1,111.9	1,138.0	69,889	74,035	79,451
6. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	138.0	94.8	32.6	11,972	6,923	2,442
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (7+8+9+10+11+12)	**3,141.5**	**4,222.9**	**6,382.4**	**91,408**	**1,32,324**	**1,93,112**
7. ईसीएस डेबिट	224.8	8.8	1.5	1,652	39	10
8. ईसीएस क्रेडिट	39.0	10.1	6.1	1,059	144	115
9. एनईएफटी	1,252.9	1,622.1	1,946.4	83,273	1,20,040	1,72,229
10. आईएमपीएस	220.8	506.7	1,009.8	1,622	4,116	8,925
11. यूनीफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस	-	17.9	915.2	-	69	1,098
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	1,404.1	2,057.3	2,503.3	3,802	7,916	10,736
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**2,707.3**	**5,450.1**	**8,207.6**	**4,483**	**7,421**	**10,607**
13. क्रेडिट कार्ड	785.7	1,087.1	1,405.2	2,407	3,284	4,590
14. डेबिट कार्ड	1,173.6	2,399.3	3,343.4	1,589	3,299	4,601
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	748.0	1,963.7	3,459.0	488	838	1,416
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15)	**6,945.2**	**10,879.7**	**15,760.6**	**1,77,752**	**2,20,703**	**2,85,612**
कुल योग (1 से 15)	**7,046.6**	**10,991.2**	**15,888.5**	**18,09,701**	**22,58,780**	**25,27,539**

टिप्पणी: 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में आउटराइट ट्रेड और रिपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं।
3. कार्डों के आंकड़े केवल बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल के लेनदेन के लिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन शामिल है।
4. कॉलमों में दिये गए आंकड़े का जोड़ पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।
5. ईसीएस डेबिट : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली डेबिट। ईसीएस क्रेडिट : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली क्रेडिट।

स्रोत: भारिबैंक।

द्वारा लेनदेन लगभग 3.5 बिलियन दर्ज किए गए, जिनका मूल्य ₹1,416 बिलियन था। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में मात्रा और मूल्य के अनुसार क्रमश: 92 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि मार्च 2018 के अंत में पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 54 प्रतिशत बढ़कर 251 मिलियन हो गई जो मार्च 2017 के अंत में 163 मिलियन थी।

IX.5 स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई और 2017-18 में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 2016-17 के 2.53 मिलियन से 24 प्रतिशत बढ़कर 3.14 मिलियन हो गयी। हालांकि इसी अवधि के दौरान लगाए गए एटीएम की संख्या में 2, 22,475 से 2, 22,247 की मामूली गिरावट देखी गयी।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

IX.6 भुगतान के डिजिटल माध्यमों के तहत 84 प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही थी जबकि जून 2017 में यह संख्या 87 थी

और इसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई जारीकर्ता, सीमा-पार धन अंतरण सेवा प्रदाता-इन बाउन्ड, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलए), व्यापार प्राप्तियाँ और बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क, तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) शामिल थे। पीपीआई परिचालन के लिए प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं की संख्या पिछले वर्ष के 55 से घटकर 49 हो गयी क्योंकि कुछ संस्थाओं के विलय / रूपांतरण भुगतान बैंकों के रूप में हो गए और कुछ ने स्वैच्छिक रूप से लाइसेन्स वापस कर दिए। जून 2018 के अंत तक 58 बैंकों को पीपीआई जारी करने का अधिकार दिया गया, वहीं 430 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IX.7 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' के अंतर्गत विभाग ने अपने विजन को प्राप्त करने के लिए चार कार्यनीतिक स्तंभों की पहचान की थी। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों को विस्तार से नीचे दिया गया है।

प्रतिसाद संवेदी विनियमन

सीसीपी के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क

IX.8 केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) के महत्वपूर्ण घटक हैं। सीसीपी बाजार में प्रतिभागियों को गारंटीशुदा निपटान सेवाएं देकर प्रतिपक्ष द्वारा की जाने वीली चूक, प्रतिस्थापन-लागत जोखिम और मूलधन जोखिम से होने वाली हानि से बचाते हैं। सीसीपी का प्रभावी ढंग से परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने इनसे जुड़े (i) गवर्नेन्स, (ii) निवल मालियत आवश्यकताओं और (iii) विदेशी सीसीपी के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.9 भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश पहली बार जून 2012 में जारी किए गये थे। अब तक के अनुभव और बैंकिंग उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। डब्ल्यूएलए के उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए, डब्ल्यूएलए परिचालकों को खुदरा आउटलेट से नकद जुटाने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद, डब्ल्यूएलए परिचालक संबंधित योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। इसे देखते हुए, 2018-19 में डब्ल्यूएलए लगाने के लक्ष्यों/नए भागीदारों आदि के शामिल होने को लेकर प्रवेश बिंदु मानदंडों की दृष्टि से डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की पूर्ण समीक्षा की जाएगी।

पीपीआई दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.10 रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को 'प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी करने और उसके परिचालन पर मास्टर निदेश' जारी किए। मास्टर निदेश में किए गए प्रमुख संशोधनों का संबंध प्रवेश बिंदु मानदंडों, केवाईसी आवश्यकताओं, पीपीआई की विभिन्न श्रेणियों के समेकन, लेनदेनों और प्रणालियों को निरापद और सुरक्षित बनाने, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से है। इसके अलावा, मास्टर निदेश बैंकों द्वारा जारी और प्राधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई के बीच अंतरपरिचालन को लागू करने के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं।

सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर

डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को तर्कसंगत बनाना

IX.11 व्यापारियों (विशेष रूप से छोटे व्यापारियों) के एक बड़े वर्ग द्वारा डेबिट कार्ड की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और इसमें शामिल कारोबारी इकाइयों के व्यापार को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया, जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ। संशोधित फ्रेमवर्क में व्यापारियों को टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यह त्वरित प्रतिसाद देने वाले (क्यूआर)-कोड आधारित लेनदेन के लिए एक विभेदित एमडीआर अपनाता है और 'कार्ड सहित' और 'कार्ड रहित' दोनों लेनदेन के लिए अधिकतम स्वीकार्य एमडीआर की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करता है।

सीटीएस-2010 मानक की ओर बढ़ना

IX.12 बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि ग्राहकों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर परिचालनगत गैर-चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) - 2010 वाले मानक चेकों को वापस लिया जाए। कुल चेकों में से गैर-सीटीएस-2010 चेकों की हिस्सेदारी को 2014 के 4 प्रतिशत से घटाकर 2018 में 0.25 प्रतिशत तक कर लिया गया है। इस प्रकार की लिखतों को समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने की घटती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, तीनों सीटीएस ग्रिड केंद्रों में गैर-सीटीएस-2010 चेकों के समाशोधन के लिए अलग से निर्धारित सत्रों की आवृत्ति को 1 जुलाई 2018 से घटाकर पखवाड़े में एक बार कर दिया गया है (4 जुलाई 2018 से शुरू कर प्रत्येक दूसरे बुधवार को)। बैंकों को सूचित किया गया कि वे और अधिक उत्तर–दिनांकित चेक (नामे आदेश) स्वीकार न करें और मौजूदा उत्तर–दिनांकित चेकों को राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) से परिवर्तित करा लें।

प्रभावी पर्यवेक्षण

प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के लिए निगरानी फ्रेमवर्क

IX.13 देश में बदलते भुगतान तंत्र के तहत 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' दस्तावेज में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भुगतान प्रणाली की निगरानी हेतु बने नीतिगत फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई। मौजूदा और नई भुगतान प्रणालियों के लिए भुगतान प्रणाली के भागीदारों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रणालीगत जोखिमों अथवा प्रणाली-व्यापी जोखिमों के समानुरूप प्रभावी निगरानी तंत्र का प्रस्ताव करने वाले निगरानी फ्रेमवर्क के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पीएसओ द्वारा एक्सबीआरएल फॉर्मेट में डेटा रिपोर्टिंग

IX.14 परोक्ष निगरानी प्रक्रिया के ही एक हिस्से के रूप में, पीएसओ आवधिक रूप से उनके द्वारा जारी की गई भुगतान लिखतों के निर्गमन और उपयोग संबंधी विवरणी प्रस्तुत करते हैं। आवधिक विवरणियों को एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली में माइग्रेट किया जा रहा है ताकि संस्थाओं से ऑटोमेटेड रिपोर्ट सुविधाजनक तरीके से प्राप्त की जा सके और निर्णय लेने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सूचना उपलब्ध हो सके।

ऑनसाइट निरीक्षण

IX.15 वर्ष 2017-18 के दौरान, रिज़र्व बैंक द्वारा 21 संस्थाओं यथा, सीसीआईएल, एनपीसीआई, 18 पीपीआई जारीकर्ता संस्थाओं और 1 डब्ल्यूएलए परिचालक का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया। एनपीसीआई के निरीक्षण में विभिन्न जोखिमों (अर्थात, विधिक, परिचालन, निपटान और प्रतिष्ठा जोखिम) का मूल्यांकन करने पर विशेष जोर दिया गया और एनपीसीआई द्वारा इन्हें कम करने के उपाय किए / कदम उठाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गवर्नेन्स और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे भी शामिल किए गए थे।

IX.16 सीसीआईएल का निरीक्षण सितंबर 2017 में किया गया था। एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार और व्यापार रिपोजिटरी के रूप में सीसीआईएल के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन 'भुगतान और बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर समिति - अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) - मूल्यांकन पद्धति' का उपयोग करते हुए वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (पीएफएमआई) के 24 सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। पारदर्शिता को बढ़ाने के एक उपाय के तौर पर, सीसीआईएल ने पीएफएमआई के अनुपालन में पीएफएमआई में निर्धारित 'प्रकटीकरण फ्रेमवर्क और मूल्यांकन पद्धति' के अनुसार वार्षिक आधार पर अपने स्व-मूल्यांकन का प्रकटीकरण जारी रखा। सीसीआईएल ने सीसीपी के लिए निर्धारित सार्वजनिक प्रकटीकरण मानकों के अनुसार तिमाही आधार पर अपने मात्रात्मक प्रकटीकरण भी प्रकाशित किए।

IX.17 थोक भुगतानों में हो रही धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को देखते हुए, सीपीएमआई ने एक कार्यदल गठित किया है जो थोक भुगतानों की सुरक्षा पर ध्यान देगा और ऐसी कार्यनीति तैयार करेगा जिससे उद्योग जगत थोक भुगतानों में होने वाली धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने की दिशा में अपने प्रयासों को संकेंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित हो और वित्तीय स्थिरता को बल मिल सके। थोक भुगतान में एंडपॉइंट सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को कम करने की कार्यनीति के तत्वों का सार बॉक्स IX.1 में दिया गया है।

बॉक्स IX.1
आरटीजीएस में एंड पॉइंट सुरक्षा

थोक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एंड पॉइंट स्थान और समय का वह बिंदु माना जाता है, जहां पर इस तंत्र में दो पक्षों के बीच भुगतान निर्देश सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है। एंड पॉइंट सुरक्षा का उद्देश्य नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक एंड पॉइंट को समुचित रूप से सुरक्षित बनाना होता है ताकि प्रवेश बिंदु पर प्रणाली तक पहुंच के प्रयासों को और किसी भी अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधि को ब्लॉक किया जा सके। सीपीएमआई ने 'एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित थोक भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना' शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने धोखाधड़ी के जोखिम से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट में थोक भुगतानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि वित्तीय नेटवर्कों की अंतर-संबद्धता के कारण यह आवश्यक है।

थोक भुगतान धोखाधड़ी में एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को कम करने की कार्यनीति के तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई थी :-

- तत्त्व 1: एंड पॉइंट सुरक्षा से संबंधित ऐसे जोखिमों को चिह्नित करना और उन्हें समझना जिनका भागीदारों को अलग-अलग और सामूहिक रूप से भी सामना करना पड़ता है।
- तत्त्व 2: प्रणाली के भागीदारों के हित में धोखाधड़ी की पहचान, रोकथाम और उस पर अनुक्रिया के लिए अपेक्षित एंड पॉइंट सुरक्षा व्यवस्था करना।
- तत्त्व 3: संबंधित एंड पॉइंट सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन को बढ़ावा देना।
- तत्त्व 4: धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम में सुधार के लिए सूचना और साधन उपलब्ध कराना और उनका इस्तेमाल करना।
- तत्त्व 5: वास्तविक धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह पर समय रहते कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू की जानी चाहिए।
- तत्त्व 6: इस संबंध में वर्तमान में जारी शिक्षण, जागरूकता और सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग करना।
- तत्त्व 7: एंड पॉइंट सुरक्षा जोखिमों की निगरानी और जोखिम नियंत्रण विकसित करना, एंड पॉइंट सुरक्षा अपेक्षाओं, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और संसाधनों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना।

ग्राहक केंद्रित

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र (सीजीआरएम) को सुसंगत बनाना

IX.18 रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए सीजीआरएम को सुसंगत बनाने हेतु भुगतान क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। प्रस्तावित सुसंगतीकरण से विभिन्न पहलुओं, जैसे विवाद-निवारण तंत्र, लागत संरचना, ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए टर्न-अराउंड समय और असफल / अस्वीकृत लेनदेन के लिए धन-वापसी प्रक्रिया में समानता आएगी। प्राप्त इनपुट को जांचा और समेकित किया जा रहा है। इस बीच, पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए एक सुदृढ़ सीजीआरएम शुरू कर दिया गया है।

पीएसओ के लिए प्रकटीकरण फ्रेमवर्क

X.19 ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंक ने उपाय किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएसओ संस्थाएँ अपने ग्राहकों को अपनी सेवाओं पर देय शुल्क और उससे संबंधित नियम एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण कर सके।

एनईएफटी में भुगतान की पुष्टि

IX.20 एनईएफटी प्रणाली में निधि-अंतरण पूरा होने की पुष्टि सूचना धन-प्रेषकों को भेजने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और लगभग सभी बैंक अब प्रेषक को धन अंतरण संबंधी पुष्टि संदेश भेज रहे हैं। जैसा कि 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: सिस्टम विजन 2018' दस्तावेज में परिकल्पना की गई है, भेजे गए सफल पुष्टि संदेश के बैंक-वार प्रतिशत की निरंतर निगरानी करके इस सुविधा को और मजबूत किया जा रहा है। कम प्रतिशत वाले बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है।

डेटा भंडारण

IX.21 जैसा कि 2018-19 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, देश में परिचालित सभी भुगतान प्रणालियों के डेटा की अप्रतिबंधित पर्यवेक्षी पहुंच सुनिश्चित

करने के लिए, सभी प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों का पूरा डेटा केवल भारत में ही किसी प्रणाली में स्टोर किया जाए। हालांकि, भुगतान लेनदेन के विदेशी चरण से संबंधित डेटा विदेश में भी स्टोर किया जा सकता है।

अन्य गतिविधियां

एफ़एसएपी मूल्यांकन

IX.22 द्वितीय वित्तीय क्षेत्र व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का संयुक्त कार्यक्रम है, 2017 में भारत के लिए आयोजित किया गया था। एफ़एमआई के लिए, एफएसएपी टीम ने बैंक द्वारा नामित पात्र केंद्रीय प्रतिपक्षकार सीसीआईएल का मूल्यांकन किया, जो मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजार लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएफएमआई सिद्धांतों के आधार पर किए गए मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीसीआईएल प्रणालियां 24 सिद्धांतों में से 21 का पूरी तरह या मोटे तौर पर अनुसरण करती हैं, साथ ही, शेष तीनों सिद्धांत इन पर लागू नहीं होते। रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)- अतिरिक्त विशेषताएं

IX.23 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और इसके दायरे को और अधिक विस्तृत करने के लिए, यूपीआई में विभिन्न नई विशेषताओं को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। प्रमुख अतिरिक्त सुविधाओं में शामिल हैं - यूपीआई लेनदेन की प्रति लेनदेन की मौजूदा सीमा को ₹1.0 लाख से बढ़ाकर ₹2.0 लाख कर देना, निधि को ब्लॉक करने के मैन्डेट की मंजूरी देना, ओवरड्राफ्ट खाते की सुविधा अंतर्निहित खाते के रूप में देना, विदेशी आवक विप्रेषण के देशी भाग का संसाधन शामिल हैं और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को उप सदस्याता रूट के माध्यम से जारीकर्ता के रूप में शामिल करना।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

प्रतिसाद-संवेदी विनियमन

भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान संकलनकर्ताओं का विनियमन

IX.24 ऑनलाइन लेनदेन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की वृद्धि ने भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं की भूमिका को बढ़ा दिया है। भुगतान गेटवे परिचालन (जिनकी निगरानी बैंकों के माध्यम से की जाती है) पर वर्तमान दिशानिर्देश अप्रत्यक्ष हैं और उनके कामकाज के केवल कुछ विशिष्ट पहलुओं से ही संबंध रखते हैं। भुगतान गेटवे की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, इन संस्थाओं की भुगतान संबंधी गतिविधियों पर जारी दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर

एनईएफटी में मैसेजिंग के लिए आईएसओ को अपनाना

IX.25 बैंक एनईएफटी में मैसेजिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) मानकों के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता और समयसीमा की जांच करेगा।

प्रभावी पर्यवेक्षण

आघातसहनीयता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क

IX.26 वित्तीय बाजारों के साथ-साथ व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के वैकल्पिक तरीकों के आ जाने से, भुगतान प्रणालियों की आघातसहनीयता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यहां, आघातसहनीयता से तात्पर्य किसी प्रणाली के अपनी गतिविधि को एक अलग प्रणाली या प्रक्रिया में बदलकर या दोनों के मिश्रित रूप से उस स्थिति में भी चलायमान बनाए रखने की क्षमता से है जब कोई प्रणाली पूरी तरह काम करना बंद कर दे। देश में खुदरा और बड़े मूल्य की प्रणालियों की आघातसहनीयता का परीक्षण करने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा।

भुगतान प्रणाली में हो रही धोखाधड़ी पर आंकड़े जुटाना

IX.27 रिज़र्व बैंक वर्तमान में पीएसओ से धोखाधड़ी पर आंकड़े जुटाता है। भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न

भुगतान प्रणालियों में होने वाली धोखाधड़ी के प्रकारों की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी पर डेटा एकत्र करने के लिए बैंकिंग उद्योग से परामर्श लेकर एक व्यापक ढांचा तैयार किया जाएगा।

ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण

ग्राहक सर्वेक्षण

IX.28 भुगतान विकल्पों के संबंध में ग्राहकों की आदतों का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक अन्य हितधारकों के साथ मिलकर भुगतान प्रणाली के विशिष्ट पहलुओं पर ग्राहक सर्वेक्षण कराने की दिशा में कार्य करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाने के अलावा विनियामकीय ढांचे और नीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

गैर बैंक प्राधिकृत पीपीआई जारीकर्ताओं हेतु ग्राहक उत्तरदायित्व सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क

IX.29 बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। बैंक और गैर बैंक पीपीआई में अंतर-परिचालन प्रारंभ करने पर विचार गया है जिससे गैर-बैंक पीपीआई के लिए भी समान अनुदेश के मामले को मजबूती मिलेगी। गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई हेतु इसे लागू करने संबंधी दिशानिर्देश वर्ष के दौरान जारी होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.30 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश में अत्यावश्यक और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुचारु रूप से कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान के माध्यम से 'सुरक्षा के साथ सेवा' की दिशा में कार्य करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उभरते जोखिम भरे परिदृश्य के साथ, जहां सुनियोजित साइबर अपराध और साइबर युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, यह विभाग साइबर सुरक्षा खतरे के निरंतर बदलते रूपों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

जीएसटी के लिए ई-कुबेर

IX.31 वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले अखिल भारतीय संग्रह के कार्य में *'समूहक'* की भूमिका के निर्वहन का उत्तरदायित्व रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को सौंपा गया है। इसे डेटा रिपोर्टिंग के एकल स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए, केंद्र सरकार, सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, 25 एजेंसी बैंकों और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सर्वर-से-सर्वर एकीकरण स्थापित किया गया है (बॉक्स IX.2)।

सरकारी ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर

IX.32 विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों के लिए मानकीकृत ई-प्राप्ति और ई-भुगतान मॉडल तैयार किए गए थे। आईएसओ 20022 मैसेजिंग प्रारूपों पर आधारित मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल, ई-कुबेर से इंटरफेस के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनुदेशों की सीधी प्रोसेसिंग (एसटीपी) की परिकल्पना करता है। मार्च 2018 के अंत तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 11 राज्य सरकारों ने ई-कुबेर का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतानों का वितरण करने के लिए इस मॉडल को अपनाया है। वर्ष 2016-17 के दौरान 74.3 मिलियन लाभार्थियों को वितरित किए गए ₹*3.2* ट्रिलियन की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ई-कुबेर के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा 88.6 मिलियन लाभार्थियों को ₹3.9 ट्रिलियन का वितरण किया गया। मार्च *2018* के अंत तक, कुल *14* राज्य सरकारों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने ई-प्राप्ति मॉडल अपनाया है।

बॉक्स IX.2
जीएसटी भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

जीएसटी भुगतान प्रक्रिया पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्थापित उप समिति ने अप्रैल 2015 में सिफारिश की थी कि रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को जीएसटी संग्रह के लिए अखिल भारतीय समूहक के रूप में नामित किया जाए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2017 से आईएसओ 20022 संदेश प्रारूपों का उपयोग करते हुए कराधान डेटा, भुगतान और रिपोर्टिंग के प्रवाह के लिए शुरू से अंत तक स्वचालित प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), भारत सरकार; सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 25 एजेंसी बैंक और जीएसटीएन जैसे हितधारकों के बीच सूचना के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक सेवा गेटवे को भी बनाया गया है। जीएसटी लेनदेन को संभालने के लिए ई-कुबेर इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी संवर्धित भी किया गया है।

फलस्वरूप, अब जीएसटी भुगतानकर्ता एनईएफटी और आरटीजीएस का उपयोग करते हुए अपने बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक में खोले गए सरकारी खाते / खातों में कर का विप्रेषण सीधे कर सकते हैं। एनईएफटी / आरटीजीएस मोड के अंतर्गत, सरकारी खाते में कर उसी दिन सीधे जमा हो जाता है, जबकि जीएसटी भुगतानों के अन्य तरीकों में, सरकारी खाते में टी+1 आधार पर जमा किया जाता है। इसके अलावा, पूर्व की कर संग्रह प्रणाली के अंतर्गत, केवल एजेंसी बैंकों को सरकारों की ओर से कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, जबकि नई प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी भुगतानकर्ता किसी भी बैंक के अपने खाते से सरकारी खाते में कर सीधे भेज सकते हैं (प्राधिकृत एजेंसी बैंकों से भिन्न बैंकों सहित)। आशा है कि नई प्रक्रिया से करदाताओं और सरकार दोनों के लिए बेहतर परिचालनगत दक्षता वाली सुविधा मिल सकेगी।

चार्ट 1: जीएसटी: प्राप्तियों के प्रकार

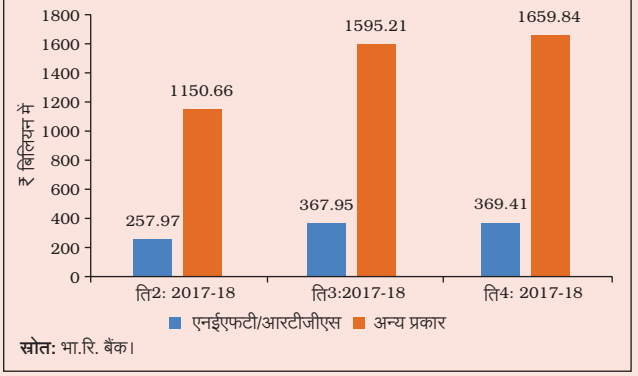

स्रोत: भा.रि. बैंक।

औसतन, जीएसटी संग्रह का लगभग 18-19 प्रतिशत, मूल्य और मात्रा दोनों दृष्टियों से, एनईएफटी / आरटीजीएस भुगतान मोड के माध्यम से सीधे सरकारी खाते में प्राप्त हुए हैं जिससे सरकारों को नकद प्रबंधन की बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है (चार्ट 1)।

जीएसटी लेनदेन के लिए एक ऑनलाइन मिलान तंत्र, जिसे त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) कहा जाता है, को भारत सरकार के सीबीईसी के समन्वय से डिजाइन किया गया है। रिजर्व बैंक, जीएसटीएन, एजेंसी बैंक और सीबीईसी सहित सभी हितधारकों के बीच इस प्रक्रिया का परीक्षण चल रहा है। रिज़र्व बैंक ई-कुबेर प्रणाली का सहारा लेते हुए एमओई प्रक्रिया हितधारकों के बीच उत्पन्न समाधान / निपटान से जुड़े मुद्दों की कागज रहित प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

आरटीजीएस प्रणाली में बहुपक्षीय निवल निपटान बैच (एमएनएसबी) मॉड्यूल

IX.33 महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली आरटीजीएस से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को वर्ष के दौरान संवर्धित करते हुए गैर-आरटीजीएस सदस्यों को आरटीजीएस में प्रोसेसिंग और निपटान करने की अनुमति दी गयी।

भुगतान और निपटान प्रणाली एप्लिकेशन्स

IX.34 ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने और एनईएफटी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए, आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त निपटान का प्रारम्भ किया गया, जिससे प्रत्येक आधे घंटे के निपटान बैचों की कुल संख्या *23* हो गई। निपटान हर आधे घंटे पर होने के कारण निधि अंतरण प्रक्रिया में तेजी आई और लक्षित खातों में तेजी से जमाएं प्राप्त हुई। अतिरिक्त निपटानों को शामिल करने के लिए एनईएफटी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन, परिचालन में बाधा डाले बिना सभी बैंकों में एक साथ किया गया था।

IX.35 वर्ष *2017-18* के दौरान, डेटा सेन्टर में किए गए आरटीजीएस एवं एनईएफटी, दोनों बिना रूकावट के संपन्न हुए जो प्रति-दिन किए गए संव्यवहार की मात्राओं में अभूतपूर्व था । आरटीजीएस ने पिछले वर्ष के 0.74 मिलियन की तुलना में 31 मार्च 2018 को 0.91 मिलियन लेनदेन की उच्चतम सीमा दर्ज की। एनईएफटी ने पिछले वर्ष के 12.5 मिलियन लेनदेन की तुलना में 31 मार्च *2018* को 15.4 मिलियन लेनदेन दर्ज किए थे, इसके बाद

3 अप्रैल 2018 को अब तक 18.8 मिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। ये प्रणालियां माप करने योग्य सिद्ध हुई हैं और बढ़ती मात्राओं को संभालने की क्षमता दिखायी है।

डेटा सेंटरों में बढ़ाई गई सुरक्षा

IX.36 बढ़ते साइबर खतरों के विरुद्ध बैंक के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी करने, पता लगाने, रोकने और कम करने के लिए सूचना सुरक्षा संचालन केंद्र (आईएसओसी) को परिचालित किया गया था। आईएसओसी की स्थापना और इसकी 24×7 सतर्कता और निगरानी के परिणामस्वरूप अनधिकृत लॉगिन, सेवाओं की वितरित अनुपलब्धता (डीडीओएस), और दुर्भावनापूर्ण कमांड और कंट्रोल साइटों से प्राप्त / को भेजे गए ट्रेफिक जैसे साइबर हमलों के प्रयासों के संबंध में पता लगता है। विभिन्न एजेंसियों से संवेदनशीलता को लेकर प्राप्त चेतावनी पर उचित रूप से कार्रवाई की गई है।

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का संवर्धन

IX.37 बैंक के डेटा सेंटर में निरापद और सुरक्षित वातावरण में ई-कुबेर, एनईएफटी और सरकारी लेनदेन की बढ़ती मात्रा को संभालने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को संवर्धित किया गया था। आईटी परिचालनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों सिस्टम को अपग्रेड किया गया था।

सुरक्षा जागरूकता और साइबर ड्रिल

IX.38 विभाग जागरूकता सत्र, परिपत्र / सलाहकार और साइबर सुरक्षा अभ्यास के माध्यम से कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

मुद्रा प्रबंधन प्रणाली में सुधार

IX.39 वर्तमान में मुद्रा प्रबंधन के लिए उपयोग में लायी जा रही एकीकृत कम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन प्रबंधन प्रणाली (आईसीसीओएमएस) ई-कुबेर के मुद्रा मॉड्यूल में परिवर्तित की जाएगी। वर्तमान में, बैंक के कार्यालयों में मुद्रा मॉड्यूल का पायलट रन चल रहा है। ई-कुबेर की ओर बढ़ने से बैंक को मुद्रा तिजोरी में शेष की लगभग वास्तविक स्थिति पता चलेगी और प्रक्रियाओं के स्वचालन से मुद्रा के कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा। नोट मुद्रणालय से भी इस प्रणाली का लिंकेज होगा और मार्गस्थ मुद्रा का पता लगाने का प्रावधान होगा।

IX.40 अगली पीढ़ी का मुद्रा प्रबंधन पोर्टल का संस्करण 2.0 विकासाधीन है और मुद्रा प्रबंधन कार्यक्षमताओं से युक्त इस पोर्टल का शुभारंभ वर्ष 2018-19 के दौरान हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा पोर्टल पर चल रही मुद्रा प्रबंधन और अन्य सेवाएं नए पोर्टल पर चरणबद्ध रूप से अंतरित की जाएंगी।

जीएसटी लेनदेनों में मिलान से जुड़े मामलों का निराकरण

IX.41 जीएसटी लेनदेनों के लिए एक स्वचालित मिलान-तंत्र का विकास किया जा रहा है ताकि मिलान संबंधी मामलों को कम किया जा सके और मिलान रहित युग का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। वर्तमान में त्रुटि-ज्ञापन (एमओई) प्रक्रिया को लागू किए जाने से पूर्व परीक्षण किया जा रहा है।

एक्सेस नियंत्रण प्रबंध प्रणाली (एसीएमएस)

IX.42 उपस्थिति के लिए एक्टिव डिरेक्ट्री और समाधान को एकीकृत करते हुए बैंक के सभी कार्यालयों में आगंतुक और विक्रेता प्रबंधन सहित एक नवीन और बेहतर एसीएमएस लागू किया जाएगा।

बेहतर सुरक्षा संस्कृति के लिए प्रयास

IX.43 रिज़र्व बैंक साइबर सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की प्रक्रिया सक्रियता से शुरू करने एवं साइबर सुरक्षा को ज़िम्मेदारी बनाने और सूचना प्रणाली और संसाधनों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा।